राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 100/2024

दीपक चौहान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पैट्रोलियम, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान, उदयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, खनिज भवन, जयपुर।
4. खनन अभियंता, कार्यालय खनिज अभियंता, झुंझुंनू राजस्थान।
5. अतिरिक्त खनिज अभियंता, सर्तकता कार्यालय खनिज अभियंता, झुंझुंनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अक्षत दीवान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति खनन फोरमैन–II (खनि कार्यदेशक) के पद पर वर्ष 2013 में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.03.2021 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय खनि अभियंता, झुंझुंनू में खनि कार्यदेशक–I के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया था। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 03.01.2024 (अनुलग्नक–3) जारी कर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में किये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.01.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 03.01.2024 की अनुपालना में कार्यव्यवस्थार्थ/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों को जहां से कार्मिकों का वेतन आहरित होता है वहां के लिए कार्यमुक्त कर पालना रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 तक चाही गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.01.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.01.2024 की अनुपालना में अपीलार्थी को उनके मुल पदस्थापन कार्यालय सहायक खनि अभियंता (सर्तकता) झुंझुंनू के लिए कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी

संख्या 4 को कार्यमुक्त करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि अपीलार्थी को अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान द्वारा दिया गया था। अपीलार्थी को विधि विरूद्ध कार्यमुक्त किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 09.01.2024 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिऐ जावे कि अपीलार्थी को कार्यालय खनि अभियंता, झुंझुंनू में खनि कार्यदेशक–ा के पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, को निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.03.2021 के द्वारा अपीलार्थी खनि कार्यदेशक–ाा, कार्यालय सहायक खनि अभियंता (सतर्कता), झुंझुंनू को अग्रिम आदेशों तक कार्यालय खनिज अभियंता झुंझुंनू में खनि कार्यदेशक–ा के पद का अतिरिक्त कार्य दिया गया था, को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.01.2024 की अनुपालना में आदेश दिनांक 09.01.2024 के द्वारा मूल पदस्थापन कार्यालय सहायक अभियंता (सर्तकता) झुंझुंनू के लिए कार्यमुक्त किया गया है। प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी आदेशों में कोई विधिक त्रुटि एवं दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

5. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य